राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 7829/2024

1. ट्विंकल सिंह पुत्री श्री धर्मेंद्र सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, निवासी एलांज़ा 806, अरिहंत अदिति , पाल गंगाना रोड, जोधपुर (राजस्थान)

2. अमित कुमार पुत्र श्री अत्तर सिंह, उम्र लगभग 41 वर्ष, वर्तमान निवासी जी-134, सेक्टर-5, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)

3. जतिन पुत्र श्री दिनेश कुमार, उम्र करीब 33 साल, निवासी 5-जी-88, सेक्टर-5, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)

4. हनुमान राम भाटी पुत्र श्री भल्ला राम, उम्र करीब 38 साल, निवासी 158, आदर्श नगर, वास्तु नगर के पास, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)

5. अरविन्द कुमार खण्डेलवाल पुत्र श्री ललित कुमार, उम्र लगभग 35 वर्ष, निवासी 21 ई/184, चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)

6. मोहम्मद जीशान पुत्र श्री मोहम्मद इकबाल, उम्र करीब 37 साल, निवासी 03 बैतुल रिदा जय एन्क्लेव बजरंग विहार, गुड़ा रोड झालामण्ड जोधपुर (राजस्थान)

7. अरुण कुमार यादव पुत्र स्वर्गीय श्री ओंकार नाथ यादव, उम्र लगभग 35 वर्ष, वर्तमान निवासी 79, गांधी नगर, गुढ़ा रोड, झालामंड (राजस्थान)

8. मोहित कुमार पुत्र श्री विनोद कुमार, उम्र करीब 33 साल, निवासी 5-जी-88, सेक्टर-5, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)

9. अभिषेक कुशवाह पुत्र स्वर्गीय श्री सतीश कुमार कुशवाह, उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी 4-आई-22, सेक्टर-4, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)

10. अंशुल पुत्र स्वर्गीय श्री दर्शन कुमार, उम्र लगभग 33 वर्ष, वर्तमान निवासी 79, गांधी नगर, गुढ़ा रोड, झालामंड (राजस्थान)

----याचिकाकर्तागण

बनाम

1. राजस्थान उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल, जोधपुर के माध्यम से।
2. रजिस्ट्रार (प्रशासन), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. रजिस्ट्रार (परीक्षा), राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
4. शहंशाह रिजवी, वर्तमान में कनिष्ठ निजी सहायक, राजस्थान उच्च न्यायालय, रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के अधीन।

----प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता(गण) के लिए	:	श्री लोकेश माथुर, अधिवक्ता
प्रतिवादी(गण) के लिए	:	सुश्री अभिलाषा बोरा सुश्री खुशबू चौधरी, अधिवक्तागण

माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुलदीप माथुर

निर्णय

आरक्षित तिथि : 03/09/2024

उच्चारण तिथि : 03/03/2025

द्वारा, माननीय श्री चन्द्रशेखर, जे.

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के संस्थापन के अंतर्गत कार्यरत दस कनिष्ठ निजी सहायक, रजिस्ट्रार(परीक्षा) द्वारा 01 मई 2024 को जारी किए गए नोटिस से व्यथित हैं, जिसमें उन्हें निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए कहा गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, उन्हें दक्षता परीक्षा नहीं देनी चाहिए और निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति हेतु

उनकी उम्मीदवारी पर कनिष्ठ निजी सहायक के पद में वरिष्ठता के मानदंड को लागू करते हुए विचार किया जाना चाहिए।

2. 14 मई 2024 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने उच्च न्यायालय को निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी। लेकिन इसमें एक शर्त यह थी कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना वास्तविक पदोन्नति प्रदान नहीं की जाएगी। इस न्यायालय ने आगे कहा कि दक्षता परीक्षा में याचिकाकर्ताओं की भागीदारी से मामले को गुण-दोष के आधार पर लड़ने के उनके अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

3. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थनाएं की हैं: -

> "अतः, यह सादर प्रार्थना की जाती है कि इस रिट याचिका को कृपया स्वीकार किया जाए और अनुमति दी जाए और:-
>
> क) किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार (परीक्षा) द्वारा निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए जारी दिनांक *01.05.2024 (*अनुलग्नक *7)* नोटिस को रद्द किया जाए और अपास्त किया जाए;
>
> (ख) किसी उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ताओं को निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करने के लिए कोई दक्षता परीक्षा आयोजित न करे;
>
> ग) उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय को दक्षता परीक्षा के मानदंडों को शिथिल करते हुए याचिकाकर्ताओं को निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नत करने का निर्देश दिया जाए ;
>
> घ) वैकल्पिक रूप से, उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश द्वारा, दिनांक *09.05.2024 (*अनुलग्नक *10)* के नोटिस के तहत *15.05.2024* को आदेश दिनांक *02.03.2020* द्वारा नियुक्त कनिष्ठ निजी सहायकों के लिए याचिकाकर्ताओं के साथ दक्षता परीक्षा आयोजित करना अनुचित और

अन्यायपूर्ण घोषित किया जाए और यह निर्देश दिया जाए कि याचिकाकर्ताओं के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित होने के बाद इसे आयोजित किया जाए और उसके बाद याचिकाकर्ताओं के लिए परिणाम घोषित किया जाए, इसलिए व्यक्तिगत सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर याचिकाकर्ताओं की परिणामी पदोन्नति भी की जाए।

ङ) कोई अन्य आदेश या निर्देश, जो यह माननीय उच्च न्यायालय याचिकाकर्ताओं के पक्ष में पारित करना न्यायपूर्ण और उचित समझे ;

च) कृपया इस याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को देने की अनुमति दी जाए;"

4. याचिकाकर्ताओं ने दलील दी है कि जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए एक विज्ञापन 08 सितंबर 2015 को प्रकाशित किया गया था और राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एक भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। अंतिम परिणाम 25 फरवरी 2016 को प्रकाशित किया गया था और 92 व्यक्तियों को रजिस्ट्रार (प्रशासन) के हस्ताक्षर से जारी 15 मार्च 2016 के आदेश में निहित शर्तों के अधीन दो साल की अवधि के लिए 13,200 /- रुपये के निश्चित पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में अस्थायी नियुक्ति की पेशकश की गई थी। इसी तरह की भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2020 में की गई थी और कनिष्ठ निजी सहायक के पद के लिए चुने गए इक्यावन व्यक्तियों को 02 मार्च 2020 के आदेश के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षु के रूप में नियुक्ति की पेशकश की गई थी। इस बीच, याचिकाकर्ताओं ने सेवा में चार साल पूरे कर लिए उस समय, निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के इक्कीस स्वीकृत पद थे, जिनमें से अठारह पद रिक्त थे, जिन्हें 09 अक्टूबर 2020 के आदेश द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भरा गया था। 01 मई 2024 के नोटिस के तहत, तीस कनिष्ठ निजी सहायकों को दक्षता परीक्षा (अंग्रेजी) में दो उम्मीदवारों के साथ दक्षता परीक्षा (हिंदी) में उपस्थित होने की अनंतिम अनुमति दी गई थी। इससे व्यथित होकर, याचिकाकर्ताओं ने 01 मई 2024 को उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल को दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने से छूट की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन दिया। इस अभ्यावेदन में, उन्होंने वर्ष 2020 में किए गए पिछले अभ्यावेदन

का उल्लेख किया जिसमें दक्षता परीक्षा से छूट की मांग की गई थी, जिसे मुख्य न्यायाधीश द्वारा गठित माननीय समिति द्वारा विचार किया गया था और उनके बैच के बारह कनिष्ठ निजी सहायकों को नियमों को शिथिल करके निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, माननीय समिति द्वारा दक्षता परीक्षण से छूट देने के पिछले निर्णय के मद्देनजर, उन्हें यह वैध उम्मीद थी कि भविष्य में भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। हालाँकि, 1 मई 2024 को उनके द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दिया गया है।

5. याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त अठारह कनिष्ठ निजी सहायकों को उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी गई थी और उन्हें दक्षता परीक्षा में बैठने के लिए नहीं कहा गया था। इसलिए, वे दावा कर रहे हैं कि वे समान व्यवहार के पात्र हैं और दक्षता परीक्षा से छूट के हकदार हैं, अन्यथा उन्हें प्रतिकूल भेदभाव का सामना करना पड़ेगा। रजिस्ट्रार (प्रशासन) द्वारा 1 मई 2024 को जारी नोटिस को इस आधार पर भी चुनौती दी गई है कि याचिकाकर्ताओं को उन कनिष्ठ निजी सहायकों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहना अनुचित होगा, जिनकी नियुक्ति उनसे लगभग चार वर्ष बाद हुई थी और जो कनिष्ठ निजी सहायक संवर्ग में उनसे कनिष्ठ हैं। याचिकाकर्ता इस कारण से भी असंतुष्ट हैं कि वर्ष 2016 में उनके साथ नियुक्त और वर्ष 2020 में निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नत हुए कनिष्ठ निजी सहायक अब वरिष्ठ निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, जबकि वे कनिष्ठ निजी सहायक के पद पर ही अटके हुए हैं और उन्हें दक्षता परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया गया है। रिट याचिका में, याचिकाकर्ताओं ने अपनी शिकायत इस प्रकार प्रस्तुत की है: -

"6. वर्ष *2016* में नियुक्त सभी याचिकाकर्ताओं ने वर्ष *2020* में चार वर्ष की अवधि पूरी कर ली। इसके बाद, वर्ष *2020* में याचिकाकर्ताओं द्वारा अन्य उम्मीदवारों के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें *15.03.2016* के आदेश के तहत नियुक्त किया गया था, रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर, दक्षता परीक्षण से छूट प्रदान करते हुए, केवल वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत करने का अनुरोध किया गया था। वर्ष *2020* में प्रस्तुत अभ्यावेदन की एक सत्य और सही प्रति संलग्न है और इसे अनुलग्नक*-04* के रूप में चिह्नित किया गया है।

7. याचिकाकर्ताओं एवं अन्य अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष *2020* में प्रस्तुत अभ्यावेदन को स्वीकार करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षा से छूट प्रदान की गई तथा दिनांक *15.03.2016* के आदेश के अंतर्गत नियुक्त अभ्यर्थियों की सूची में आने वाले वरिष्ठतम कनिष्ठ निजी सहायकों के लिए दिनांक *09.10.2020* का पदोन्नति आदेश जारी किया गया। दिनांक *09.10.2020* के आदेश की सत्य एवं सही प्रति संलग्न है तथा अनुलग्नक*-05* के रूप में अंकित है।

8. अतः यह स्पष्ट है कि जिन अभ्यर्थियों को याचिकाकर्ताओं के समान चयन प्रक्रिया में कनिष्ठ निजी सहायक के पद पर नियुक्त किया गया था, उन्हें दक्षता परीक्षा से गुजरे बिना निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी।

9. तत्पश्चात, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा वर्ष *2020* में कनिष्ठ निजी सहायकों के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किए गए। सफल अभ्यर्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार *(*प्रशासन*)* द्वारा दिनांक *02.03.2020* को नियुक्ति आदेश जारी किया गया। दिनांक *02.03.2020* के आदेश की सत्य एवं सही प्रति संलग्न है तथा अनुलग्नक*-06* के रूप में अंकित है।

10. याचिकाकर्तागण उस समय हैरान और आश्चर्यचकित हुए जब उन्हें रजिस्ट्रार *(*परीक्षा*)*, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा दिनांक *01.05.2024* को जारी किए गए नोटिस के बारे में पता चला, जिसके तहत निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति हेतु दक्षता परीक्षा *15.05.2024* को आयोजित की जानी थी। दिनांक *01.05.2024* के नोटिस के अंतर्गत, सभी याचिकाकर्ताओं को उक्त परीक्षा में भाग लेने के निर्देश दिए गए थे। दक्षता परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची सहित दिनांक

01.05.2024 के नोटिस की एक सत्य और सही प्रति संलग्न है और इसे अनुलग्नक-*07* के रूप में अंकित किया गया है।

11. दिनांक *15.05.2024* को निर्धारित दक्षता परीक्षा के बारे में पता चलने पर, याचिकाकर्ताओं ने तुरंत रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय को दिनांक *01.05.2024* को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। अभ्यावेदन में, यह कहा गया कि इससे पहले उन्होंने वर्ष *2020* में दक्षता परीक्षा की शर्त को शिथिल करने के लिए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, जिसे राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था और पंद्रह उम्मीदवारों को निजी सहायक सह निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नत किया गया था। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया कि पूर्व में भी निजी सहायक के पद के लिए दक्षता परीक्षा से छूट दी गई है। इसलिए, यह प्रार्थना की गई कि समान बैच के उम्मीदवारों अर्थात जो दिनांक *15.03.2016* के आदेश के तहत कनिष्ठ निजी सहायक के पद पर नियुक्त हुए थे, के बीच समानता बनाए रखने के लिए याचिकाकर्ताओं के लिए भी कोई दक्षता परीक्षा आयोजित नहीं की जाए। दिनांक *01.05.2024* के अभ्यावेदन की एक सत्य और सही प्रति इसके साथ प्रस्तुत की जा रही है और इसे अनुलग्नक-*08* के रूप में चिह्नित किया गया है।

12. यह ध्यान देने योग्य है कि कनिष्ठ निजी सहायक जिन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ दिनांक *15.03.2016* के आदेश के तहत नियुक्ति दी गई थी और दिनांक *09.10.2020* के आदेश द्वारा निजी सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था, अब वरिष्ठ निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर उनकी पदोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है। रजिस्ट्रार *(*परीक्षा*)* राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी दिनांक *01.05.2024* को नोटिस जारी किया है जिसके तहत वरिष्ठ निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए एक दक्षता परीक्षा निर्धारित की गई है। उक्त नोटिस में दक्षता परीक्षा के लिए पात्र उम्मीदवारों की सूची है। सूची के एक मात्र अवलोकन से पता चलता है कि निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक जिन्हें दिनांक *09.10.2020* के आदेश के तहत पदोन्नति आदेश जारी किए गए थे, अब वरिष्ठ निजी सहायकों के पद के लिए विचार किया जा रहा है। दिनांक *01.05.2024* के नोटिस की एक सत्य और सही प्रति इसके साथ प्रस्तुत की जा रही है और इसे अनुलग्नक-*09* के रूप में चिह्नित किया गया है।

6. दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों पर प्रकाश डाला है और यह रुख अपनाया है कि नियमों में छूट का दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह रुख

अपनाया है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम, 2002 (संक्षेप में, 'कर्मचारी सेवा नियम') का नियम 30 मुख्य न्यायाधीश को आयु या अनुभव में छूट देने का अधिकार देता है और, मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियमों में छूट देने के लिए पहले भी इसी शक्ति का प्रयोग करके दक्षता परीक्षा से छूट दी गई थी। विपक्ष में दिए गए हलफनामे में, प्रतिवादियों ने निम्नलिखित रुख अपनाया है: -

> ***"5.*** इस प्रकार, माननीय मुख्य न्यायाधीश के पास सामान्य या विशेष आदेशों के माध्यम से उच्च न्यायालय के कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तों को निर्धारित करने के संबंध में नियम *5(2)* के साथ अनुच्छेद *229* के तहत पूर्ण शक्ति है। उक्त शक्ति के प्रयोग का एक ऐसा उदाहरण *5* दिसंबर *2002* का *(*सामान्य*)* आदेश है जो उच्च न्यायालय के विभिन्न कर्मचारियों के लिए नियुक्ति के तरीके और सेवा की शर्तें निर्धारित करता है। माननीय मुख्य न्यायाधीश कई अवसरों पर सामान्य आदेशों द्वारा कर्मचारियों की भर्ती/पदोन्नति या सेवा की शर्तों *(2002* के आदेश की प्रकृति के किसी विशेष/सामान्य आदेश के अतिरिक्त या उससे हटकर या उसे शिथिल करते हुए*)* के किसी अन्य तरीके को भी निर्दिष्ट करते हैं, जैसा कि वे किसी विशेष स्थिति में उचित समझते हैं, जबकि अनुच्छेद *229* और नियम *5* के तहत प्रदान की गई उनकी शक्ति का प्रयोग प्रणाली और संस्थान के सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए है।
>
> उसी के क्रम में, *2002* के नियमों का नियम *30* माननीय मुख्य न्यायाधीश की इस शक्ति को इस प्रकार आगे बढ़ाता है*:*
>
> *"30.* नियमों को शिथिल करने की शक्ति*:* असाधारण मामलों में जहां मुख्य न्यायाधीश को विश्वास हो कि आयु से संबंधित या भर्ती के लिए अनुभव की आवश्यकता से संबंधित नियमों के संचालन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है या जहां मुख्य न्यायाधीश की राय है कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा इन नियमों के प्रासंगिक प्रावधान को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकते हैं, जिन्हें वह मामले को न्यायसंगत और न्यायसंगत तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, बशर्ते कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से निहित प्रावधानों से कम अनुकूल नहीं होगा।
>
> नियम *2(ix)* में 'अनुभव' की परिभाषा इस प्रकार दी गई है*: "*अनुभव*"* जहां भी इन नियमों में सेवा के भीतर एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में या वरिष्ठ पदों

पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में निर्धारित किया गया है, उच्च पद पर पदोन्नति के लिए पात्र निचले पदों पर आसीन व्यक्ति के मामले में, उस अवधि को शामिल किया जाएगा जिसके लिए व्यक्ति ने इन नियमों के अनुसार या इन नियमों द्वारा अधिक्रमित नियमों या आदेशों के अनुसार मौलिक नियुक्ति के बाद ऐसे निचले पदों पर लगातार काम किया है।"

6. इस प्रकार, यदि माननीय मुख्य न्यायाधीश की राय है कि यह आवश्यक/समीचीन है, तो वे आयु या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में *2002* के नियमों में शिथिलता दे सकते हैं। *2002* के नियमों के तहत पारित किसी विशेष या सामान्य आदेश को शिथिल करने की शक्ति भी नियम *30* के तहत उक्त शक्ति में निहित है। यह प्रस्तुत किया जा सकता है कि नियम *30* माननीय मुख्य न्यायाधीश को केवल आयु या अनुभव में छूट देने की शक्ति देता है। दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने से छूट देने की कोई व्यक्त या निहित शक्ति नहीं है। अक्टूबर *2020* में दी गई दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने से छूट या शिथिलता एक असाधारण अभ्यास था, शायद इसलिए कि उच्च न्यायालय प्रशासन *COVID-19* के प्रसार के मद्देनजर दक्षता परीक्षा आयोजित करने की स्थिति में नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियमों में छूट का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, यह स्थापित है कि जबकि *2002* का आदेश कुछ भर्ती/पदोन्नति और सेवा शर्तों के लिए निर्धारित करता है, उनसे कोई भी विचलन भी माननीय मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों के भीतर है। हालाँकि, इस तरह के विचलन को कर्मचारी अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकते।

10. यद्यपि कनिष्ठ निजी सहायक के पद से निजी सहायक सह निर्णय लेखक के पद पर पिछले पदोन्नति आदेश माननीय मुख्य न्यायाधीश के कुछ विशिष्ट आदेशों के बाद, केवल वरिष्ठता सह योग्यता के मानदंड को अपनाते हुए, दक्षता परीक्षण किए बिना जारी किए गए थे, लेकिन इन्हें भविष्य की पदोन्नतियों के लिए मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं द्वारा केवल वरिष्ठता सह योग्यता के आधार पर पदोन्नति देने और वरिष्ठता सह दक्षता की आवश्यकता को पूरी तरह से दरकिनार करने के किसी भी आग्रह को इस कारण से बरकरार नहीं रखा जा सकता कि याचिकाकर्ताओं के पास ऐसा करने का कोई अंतर्निहित स्वतंत्र अधिकार नहीं है।

11. इसके अतिरिक्त, निर्धारित नियमों में छूट के संबंध में किसी भी पूर्व प्रथा को बाद में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वरिष्ठता-सह-दक्षता पात्रता मानदंड की आवश्यकता आधुनिक युग में और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है, जहाँ त्वरित श्रुतलेख, त्रुटिरहित टाइपिंग और कंप्यूटर व इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के उपयोग का ज्ञान और दक्षता एक

अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। यह तथ्य ही *15.05.2024* को दक्षता परीक्षा की आवश्यकता को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस संबंध में उन व्यक्तियों के साथ कोई उचित समानता नहीं मांगी जा सकती जो या तो वरिष्ठ हैं या विशेष रूप से याचिकाकर्ताओं के उसी बैच से हैं जिन्हें छूट का लाभ दिया गया है क्योंकि ऐसा कुछ रिक्तियों को भरने की तत्काल आवश्यकता के कारण किया गया था। यह कहा जा सकता है कि दक्षता परीक्षा का सामना करने में याचिकाकर्ताओं की हिचकिचाहट, प्रतिरोध और आपत्ति उनके द्वारा धारित पदों और उनके द्वारा मांगी जा रही पदोन्नति के लिए आवश्यक मानकों/मानकों के अनुरूप न होने या कम प्रदर्शन करने के उनके डर या आशंका को दर्शाती है।

12. इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं की अपने कनिष्ठ बैच के लोगों के साथ दक्षता परीक्षा का सामना करने पर कोई आपत्ति भी मान्य नहीं है। ऐसा सबसे पहले इसलिए है क्योंकि उन्होंने *2002* के नियमों या *2002* के आदेश को कोई चुनौती नहीं दी है जो दक्षता परीक्षा आयोजित करने का प्रावधान करता है। एक सामान्य दक्षता परीक्षा आयोजित करने में कोई रोक नहीं है क्योंकि यह केवल एक शर्त/मानक है जिसे पूरा किया जाना है। पदोन्नति केवल दक्षता के आधार पर नहीं दी जाती है। बल्कि, खंड *15* के अनुसार उसी वरिष्ठता सह दक्षता के मानदंड और वह भी केवल कुल रिक्तियों के *25%* को चक्रीय तरीके से भरने के लिए। शेष *75%* रिक्त पदों को वरिष्ठता सह योग्यता के अनुसार भरा जाना निर्धारित है। यदि याचिकाकर्ता अपने कनिष्ठों के साथ दक्षता परीक्षा में सफल होते हैं, तो उनकी वरिष्ठता उनकी पदोन्नति निर्धारित करने में भूमिका निभाएगी। दूसरी ओर, यदि वे असफल होते हैं, तो भी इससे उनकी पदोन्नति के अवसर प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि इसके बावजूद, वे वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर शेष *75%* पदों पर पदोन्नति पाने में सक्षम होंगे।

13. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि धारा *15* में 'वरिष्ठता सह दक्षता' की आवश्यकता प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए है, जो कि प्रणाली के सर्वोत्तम हित में भी है, विशेष रूप से उनके पदों की प्रकृति के कारण।"

7. श्री लोकेश माथुर याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी कि निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा आयोजित करने के लिए 01 मई 2024 का नोटिस मनमाना है और याचिकाकर्ताओं के साथ प्रतिकूल भेदभाव किया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए वर्ष 2020 में दी गई दक्षता परीक्षा से छूट कोई

अलग घटना नहीं थी, बल्कि यह एक नियमित विशेषता थी और दक्षता परीक्षा से छूट के ऐसे आदेश पहले भी पारित किए गए थे। इस संदर्भ में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने सुनील सोलंकी के पक्ष में 30 मार्च 2022 को जारी निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के आदेश का उल्लेख किया, जो कनिष्ठ निजी सहायक के पद पर थे, लेकिन उन्हें दक्षता परीक्षा से गुजरने के लिए नहीं कहा गया था। इसके विपरीत, सुश्री अभिलाषा बोरा, प्रतिवादियों की विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के तहत मुख्य न्यायाधीश की शक्तियों का उद्देश्य स्टाफ सेवा नियमों के नियम 5 के साथ उच्च न्यायालय के संस्थापन के सुचारू संचालन को सुविधाजनक बनाना है और मुख्य न्यायाधीश के पास भर्ती या पदोन्नति की किसी भी शर्त से विचलन या छूट देने की पर्याप्त शक्ति है।

8. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के उच्च संवैधानिक पद का इतिहास 1774 के चार्टर से शुरू होता है, जिसके तहत कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, जिसे उच्च न्यायालय अधिनियम, 1861 के तहत स्थापित उच्च न्यायालयों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। बाद में, 14 मई 1862 को कलकत्ता उच्च न्यायालय को लेटर्स पेटेंट प्रदान किया गया और 1919 में इसमें संशोधन किया गया। लेटर्स पेटेंट के तहत, बंगाल के फोर्ट विलियम स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को न्याय प्रशासन के लिए आवश्यक संख्या में लिपिकों और अन्य अनुसचिवीय अधिकारियों की नियुक्ति करने की शक्ति प्रदान की गई। लेटर्स पेटेंट ने मुख्य न्यायाधीश को सभी अधिकारियों और लिपिकों के वेतन का निर्धारण करने का अधिकार भी प्रदान किया, जिसे गवर्नर जनरल-इन-काउंसिल द्वारा अनुमोदित किया जाना था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की ये शक्तियां भारत सरकार अधिनियम, 1915 की धारा 106 और भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 241 के तहत संरक्षित थीं। स्वतंत्रता के बाद

भी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शक्तियां और स्थिति भारत के संविधान के अध्याय X के तहत बनाए रखी गई हैं।

9. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में प्रावधान है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 के अंतर्गत उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 का खंड 2 यह प्रावधान करता है कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की सेवा शर्तें उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा या मुख्य न्यायाधीश द्वारा उक्त प्रयोजन हेतु नियम बनाने हेतु प्राधिकृत न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश या अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएँगी, जो उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों के वेतन, भत्ते, अवकाश या पेंशन के निर्धारण के मामलों में राज्य के राज्यपाल के अनुमोदन के अधीन होगा। उच्च न्यायालय का प्रशासन मुख्य न्यायाधीश में निहित है, यह संविधान के अनुच्छेद 229 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति से भी स्पष्ट होता है जिसमें "मुख्य न्यायाधीश" शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अनुच्छेद 235, जो अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण की परिकल्पना करता है, में "उच्च न्यायालय" शब्द का प्रयोग किया गया है। "एम. गुरुमूर्ति बनाम महालेखाकार असम एवं नागालैंड एवं अन्य"[1] माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि अनुच्छेद 229 को अधिनियमित करने में संविधान निर्माताओं का स्पष्ट उद्देश्य और स्पष्ट मंशा यह थी कि उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामले में मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित व्यक्ति ही सर्वोच्च प्राधिकारी होंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि अनुच्छेद 229 में एक विशिष्ट और भिन्न योजना है और यह उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों के मामले में मुख्य न्यायाधीश को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करता है।

1 [1971] 2 SCC 137

10. कनिष्ठ निजी सहायकों और निजी सहायक-सह-निर्णय लेखकों की नियुक्ति के संबंध में, यह सर्वविदित है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश द्वारा कर्मचारी सेवा नियमों के नियम 4, 5, 7 और 22 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश द्वारा एक विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कर्मचारी सेवा नियमों के भाग-II के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार, कनिष्ठ निजी सहायक (अंग्रेजी या हिंदी) के पद पर भर्ती, प्रतियोगी परीक्षा के बाद सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी। कनिष्ठ निजी सहायक के पद के लिए निर्धारित योग्यता सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष परीक्षा है। चयन प्रक्रिया से संबंधित खंड 14 में यह प्रावधान है कि अभ्यर्थी को ग्रुप ए (अंग्रेजी के लिए) या ग्रुप बी (हिंदी के लिए) में परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक होगा तथा उसे ग्रुप सी के अंतर्गत कंप्यूटर परीक्षा भी अनिवार्य रूप से उत्तीर्ण करनी होगी। खंड 14 में आशुलिपि परीक्षा आयोजित करने, निर्धारित शीटों के मूल्यांकन, गलतियों को चिह्नित करने आदि के लिए भी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। कर्मचारी सेवा नियमों के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान, जो जूनियर निजी सहायक के पद पर भर्ती से संबंधित हैं, नीचे पुन: प्रस्तुत किए गए हैं:-

> ***"(14)* कनिष्ठ निजी सहायक.-** कनिष्ठ निजी सहायक *(*अंग्रेजी*)* या कनिष्ठ निजी सहायक *(*हिंदी*)* के पद पर भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के बाद सीधी भर्ती द्वारा की जाएगी।
>
> ***(*क*)* शैक्षिक योग्यता*:***
>
> *(i)* अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए या सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए*;* और
>
> *(ii)* कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान होना चाहिए
>
> ***(*ख*)* चयन का तरीका *:*** कनिष्ठ निजी सहायक के पद के लिए प्रतियोगी परीक्षा में दो वैकल्पिक समूहों ए और बी में दिए गए विषय शामिल होंगे। उम्मीदवार को आवेदित पद के विषय समूह में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और समूह सी में भी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

समूह ए			
कनिष्ठ निजी सहायक *(*अंग्रेजी*)*	अवधि	श्रुतलेखन की गति	अंक
अंग्रेजी शॉर्टहैंड	*8* मिनट	*80* शब्द प्रति मिनट	*100*
कंप्यूटर पर अंग्रेजी में लिखित अंश का प्रतिलेखन और टंकण ।	*60* मिनट	-	-
समूह बी			
कनिष्ठ निजी सहायक *(*हिंदी*)*	अवधि	श्रुतलेखन की गति	अंक
हिंदी आशुलिपि	*8* मिनट	*70* शब्द प्रति मिनट	*100*
कंप्यूटर पर हिंदी में लिखित अंश का प्रतिलेखन और टंकण ।	*70* मिनट		
समूह सी			
कंप्यूटर*:* कंप्यूटर पर गति परीक्षण होगा। गति*:* कंप्यूटर पर न्यूनतम गति *8000* डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। डाटा हिंदी या अंग्रेजी भाषा में या दोहरी भाषा, यानी अंग्रेजी और हिंदी में भरना होगा। यह परीक्षा दो पेपरों में होगी, जिनमें गति और दक्षता शामिल हैं और प्रत्येक के *50* अंक होंगे।			

*(*ग*)* आशुलिपि परीक्षा आयोजित करने की विधि –

(1) इस परीक्षण को शॉर्टहैंड गति मूल्यांकन परीक्षण कहा जाएगा

(2) अभ्यर्थियों को अंतिम आशुलिपि गद्यांश लिखवाने से पहले, *200-250* शब्दों का एक परीक्षण गद्यांश उसी गति से लिखवाया जाना चाहिए जिस गति से अंतिम गद्यांश लिखवाया जाना है। परीक्षण गद्यांश को लिखित रूप में लिखने की आवश्यकता नहीं है और अंकन करते समय इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(3) परीक्षण अनुच्छेद के श्रुतलेख के दो-तीन मिनट बीत जाने के बाद, अंतिम अनुच्छेद उसी व्यक्ति द्वारा लिखवाया जाना चाहिए, जिसमें गति की एकरूपता को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसे प्रत्येक *80-100* शब्दों के बाद अनुच्छेद को चिह्नित करके प्राप्त किया जा सकता है।

(4) गद्यांश लिखवाने के बाद अभ्यर्थियों को लिखवाए गए गद्यांश को पढ़ने के लिए पांच मिनट का समय दिया जाना चाहिए।

(5) अभ्यर्थियों को कंप्यूटर पर गद्यांश का लिप्यंतरण करना होगा। परीक्षण गद्यांश, आशुलिपि शीट और लिप्यंतरण शीट एक साथ संलग्न होनी चाहिए।

तीनों शीटों पर अभ्यर्थी का नाम, दिनांक और अनुक्रमांक अंकित होना चाहिए।

*(*घ*)* प्रतिलेखित शीटों के मूल्यांकन की विधि.-

(1) गलतियों को, यथास्थिति, पूर्ण या आंशिक गलतियों के रूप में गिना जाएगा।

*(*क*)* निम्नलिखित को पूर्ण गलतियाँ गिना जाना चाहिए ।

(1) शब्दों या अंकों का लोप।

(2) गलत शब्द या अंक का प्रतिस्थापन।

(3) गलत वर्तनी.

(4) दो आंशिक गलतियाँ एक पूर्ण गलती के बराबर होंगी।

*(*ख*)* निम्नलिखित को आंशिक गलतियों के रूप में गिना जाना चाहिए*:*-

(1) विराम चिह्नों में त्रुटि या चूक।

(2) बड़े या छोटे अक्षरों का गलत प्रयोग।

(3) अनुच्छेद का गलत अभिस्थापन।

(2) 5% गलतियों की छूट दी जा सकती है। यदि गलतियाँ*/*चूकें लिखित अंश के *5%* से अधिक हैं, तो *5%* से अधिक गलतियों को लिखित अंश के कुल शब्दों में से घटा दिया जाएगा और गति की गणना की जाएगी। उदाहरण*:*

(1) यदि *10* मिनट में *1000* शब्दों के लिखित गद्यांश में गलतियाँ *50* हैं, *(1000* का *5%)* तो *5%* का मार्जिन देकर गति की गणना *100* शब्द प्रति मिनट की जाएगी

(2) यदि *1000* शब्दों के लिखित गद्यांश में *100* गलतियाँ हों, तो मार्जिन *50* शब्दों में *(1000* का *5* प्रतिशत*)* अतिरिक्त *50* शब्द *(1000- 50 = 950)* शब्द।

इसे समय से *10* मिनट से विभाजित किया जाएगा। यह *950/10=95* शब्द प्रति मिनट आता है।*"*

11. निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक का पद दो अलग-अलग तरीकों से पदोन्नति द्वारा भरा जाता है। कर्मचारी सेवा नियम के भाग-II के अंतर्गत खंड 15 में प्रावधान है कि निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के 25% पद वरिष्ठता-सह-दक्षता के मानदंडों पर

एक समिति की सिफारिश पर भरे जाएंगे और 75% पद कनिष्ठ निजी सहायकों में से वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरे जाएंगे। आगे यह भी प्रावधान है कि निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए 25% कोटे के तहत उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिए एक दक्षता परीक्षा होगी और उन पदों को वरिष्ठता-सह-दक्षता के आधार पर भरा जाएगा। खंड 15 में आगे प्रावधान है कि अर्हक परीक्षा केवल उम्मीदवारों की शॉर्टहैंड गति की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आयोजित की जाएगी। इसमें यह भी संकेत दिया गया है कि अंग्रेजी के लिए शॉर्टहैंड गति 95 शब्द प्रति मिनट और हिंदी के लिए 75 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। इसके अलावा, खंड 15 में संलग्न "नोट" यह दर्शाता है कि 5 मिनट के संक्षिप्त श्रुतलेख को 45 मिनट के भीतर लिपिबद्ध किया जाना चाहिए। कर्मचारी सेवा नियमों के खंड 15 में, जिसमें निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए प्रासंगिक प्रावधान निम्नलिखित हैं: -

> ***"(15)* निजी सहायक सह निर्णय लेखक.-** निजी सहायक सह निर्णय लेखक के पदों पर भर्ती, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित समिति की सिफारिश पर वरिष्ठता-सह-दक्षता के मानदंडों पर उम्मीदवारों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के आधार पर *25%* पदों पर पदोन्नति द्वारा की जाएगी और *75%* पदों पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर कनिष्ठ निजी सहायकों में से की जाएगी।
>
> वरिष्ठता-सह-दक्षता और वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर *1:3* का अनुपात रिक्ति आधारित होगा और चयन चक्रानुक्रम द्वारा किया जाएगा अर्थात प्रथम रिक्ति वरिष्ठता-सह-दक्षता के आधार पर भरी जाएगी तथा दूसरी, तीसरी और चौथी रिक्तियां वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएंगी।
>
> बशर्ते कि कोई भी कनिष्ठ निजी सहायक, निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि उसने कनिष्ठ निजी सहायक के पद पर न्यूनतम *4* वर्ष की सेवा न कर ली हो।
>
> कनिष्ठ निजी सहायकों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पदों को अधीनस्थ न्यायालयों के निजी सहायकों या राजस्थान

सरकार के विभाग के वरिष्ठ कनिष्ठ निजी आशुलिपिक/निजी सहायकों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।

दक्षता परीक्षण

वरिष्ठता-सह-दक्षता के मानदंडों के आधार पर भरे जाने वाले निजी सहायक-सह-निर्णय लेखकों के *25%* पदों पर पदोन्नति के लिए उम्मीदवारों की उपयुक्तता, उम्मीदवारों की शॉर्टहैंड गति की क्षमता का परीक्षण करने के लिए आयोजित की जाने वाली अर्हक परीक्षा के आधार पर तय की जाएगी।

अर्हक परीक्षण

I. आशुलिपि *(*अंग्रेजी*) 95* शब्द प्रति मिनट

या

*(*हिंदी*) 75* शब्द प्रति मिनट

नोट*:* आशुलिपि में दिए गए *5* मिनट के श्रुतलेख को *45* मिनट के भीतर लिपिबद्ध किया जाएगा।

12. किसी पद पर मौलिक नियुक्ति का अर्थ है, नियमों के तहत निर्धारित भर्ती के किसी भी तरीके से उचित चयन के बाद किसी मौलिक रिक्ति पर कर्मचारी सेवा नियमों के प्रावधानों के तहत की गई नियुक्ति और इसमें परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति शामिल है, जिसके बाद परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर सेवा में पुष्टि होती है। कर्मचारी सेवा नियमों के नियम 2(i) में "नियुक्ति प्राधिकारी" को मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश या न्यायाधीशों की समिति या किसी अन्य अधिकारी के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों का पालन करने के लिए मुख्य न्यायाधीश द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया जा सकता है। प्रतिवादियों के अनुसार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास सामान्य या विशेष आदेश जारी करके उच्च न्यायालय के संस्थापन के तहत कर्मचारियों की भर्ती के लिए शर्तें निर्धारित करने की पूर्ण शक्ति है और ऐसी शक्ति का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 05 दिसंबर 2002 को एक सामान्य आदेश जारी

किया जिसके तहत उच्च न्यायालय के संस्थापन के तहत कर्मचारियों की नियुक्ति और सेवा शर्तों की विधि और तरीकों का निर्धारण किया गया है। प्रतिवादियों का यह रुख है कि मुख्य न्यायाधीश के पास कर्मचारी सेवा नियमों के तहत किसी भी नियम को शिथिल करने की शक्ति है यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है और मुख्य न्यायाधीश आयु में या अनुभव की आवश्यकता के अनुसार छूट दे सकते हैं। यह कहा गया है कि अक्टूबर 2020 में मुख्य न्यायाधीश द्वारा दी गई दक्षता परीक्षा में उपस्थित होने से छूट ऐसी शक्तियों का एक असाधारण प्रयोग था और इसे याचिकाकर्ताओं द्वारा नियम में छूट का दावा करने के लिए उनके पदोन्नति के अधिकार के रूप में मिसाल के तौर पर संदर्भित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ताओं का दावा है कि इस तरह का बयान सच्चाई से बहुत दूर है और याचिकाकर्ताओं को समानता से वंचित करने का एक बहाना मात्र है क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय संस्थापन के लिए वाहन चालकों और राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आदि के लिए चालकों के लिए दिनांक 06 नवंबर 2020 के नोटिस के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी।

13. कर्मचारी सेवा नियम के नियम 30 के अंतर्गत प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार हैं : -

> *"30.* नियमों को शिथिल करने की शक्ति*:* असाधारण मामलों में जहां मुख्य न्यायाधीश को विश्वास हो कि भर्ती के लिए आयु या अनुभव की आवश्यकता से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई होती है या जहां मुख्य न्यायाधीश की राय है कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किसी प्रावधान को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश द्वारा इन नियमों के प्रासंगिक प्रावधान को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन छूट दे सकते हैं, जिन्हें वह मामले को न्यायसंगत और समतापूर्ण तरीके से निपटाने के लिए आवश्यक समझे, बशर्ते कि ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से निहित प्रावधानों से कम अनुकूल नहीं होगा।"

14. एक सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है और वह केवल इस बात पर जोर दे सकता है कि छुट्टी, वेतन, पदोन्नति आदि के संबंध में भर्ती नियमों के प्रावधानों का पालन किया जाए और उन प्रतिवादियों के कार्यों के विरुद्ध शिकायत नहीं कर सकता जो नियमों का पालन करने का इरादा रखते हैं। कर्मचारी सेवा नियमों के अंतर्गत, पदोन्नतियाँ सामान्यतः वरिष्ठता के अनुसार की जाती हैं, लेकिन निजी सहायक-सह-निर्णय लेखकों के 25% पदों पर पदोन्नति दक्षता परीक्षा की आवश्यकता के अधीन होती हैं। दक्षता परीक्षा उम्मीदवारों की शॉर्टहैंड गति की क्षमता का आकलन करने के लिए आयोजित की जाती है और यह केवल एक अर्हक परीक्षा है। कर्मचारी सेवा नियमों के अंतर्गत अर्हक परीक्षा की आवश्यकता के संबंध में, इच्छुक कनिष्ठ निजी सहायकों को पर्याप्त और स्पष्ट जानकारी दी जाती है कि अंग्रेजी में अर्हक शॉर्टहैंड परीक्षा के लिए 95 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 75 शब्द प्रति मिनट की गति आवश्यक है। नियमों में यह भी प्रावधान है कि शॉर्टहैंड में दिए गए 5 मिनट के श्रुतलेख को 45 मिनट के भीतर लिखना होगा। प्रासंगिक रूप से, नियम 22 जो पदोन्नति के सामान्य नियम को निर्धारित करता है, "दक्षता की आवश्यकता के अधीन" अभिव्यक्ति से शुरू होता है और यह प्रावधान करता है कि पदोन्नति सामान्यतः वरिष्ठता के अनुसार की जाएगी। 24 जुलाई 2004 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन द्वारा, किसी अधिकारी को योग्यता को मान्यता देने के लिए विशेष पदोन्नति का प्रावधान शामिल किया गया था, चाहे वह जिस भी ग्रेड का हो या अपने ग्रेड के भीतर उसकी वरिष्ठता पर ध्यान दिए बिना। नियम 3 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि मुख्य न्यायाधीश समय-समय पर किसी व्यक्ति को किसी भी दावे का हकदार बनाए बिना, किसी रिक्त पद, स्थायी या अस्थायी, को खाली छोड़ सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं या समाप्त होने की अनुमति दे सकते हैं या राज्य के राज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के बाद, जैसा आवश्यक पाया जाए, कोई भी पद स्थायी या अस्थायी बना सकते हैं। नियम 5 में

प्रावधान है कि अनुसूची- I के दूसरे कॉलम में निर्दिष्ट किसी पद या पदों की श्रेणी में भर्ती की जाएगी (क) सीधी भर्ती द्वारा या (ख) पदोन्नति द्वारा या (ग) अधीनस्थ न्यायालय अथवा राज्य सरकार से स्थानान्तरण। 18 जुलाई 2019 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधन करके, प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने के पिछले प्रावधान को हटा दिया गया था और स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित करना मुख्य न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया था।

15. यह कहना सही नहीं है कि वरिष्ठता-सह-दक्षता के आधार पर भरे जाने वाले 25% कोटे के तहत पदोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कहकर याचिकाकर्ताओं के साथ प्रतिकूल भेदभाव किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने स्वीकार किया है कि वे उन कनिष्ठ निजी सहायकों में से थे जिन्होंने वर्ष 2020 में दक्षता परीक्षा से छूट के लिए अभ्यावेदन दिया था। मुख्य न्यायाधीश द्वारा ऐसी छूट देने का आदेश समान रूप से लागू किया गया था और याचिकाकर्ता स्वयं छूट के उस आदेश के लाभार्थी थे। यह रिकॉर्ड का विषय है कि याचिकाकर्ताओं ने वरिष्ठता सूची में अपने निचले रैंक के कारण निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति का मौका खो दिया, जबकि उनके कुछ बैचमेट इसे हासिल कर सके। इसलिए समानता का कोई सवाल ही नहीं है जिसका दावा याचिकाकर्ता अपने बैचमेट्स के साथ कर सकें जिन्हें निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के रूप में पदोन्नति मिली। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि मुख्य न्यायाधीश ने विवेकाधिकार का प्रयोग सद्भावनापूर्वक किया है और किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तो इस भ्रामक दलील पर रिट दायर नहीं की जा सकती कि इसका प्रयोग अलग तरीके से किया जा सकता था। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के अधिकारियों और सेवकों की नियुक्ति के मामलों में सर्वोच्च प्राधिकारी हैं और भारत का संविधान यह मानता है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य व्यक्ति का उच्च न्यायालय के आंतरिक प्रशासन में अधिकार क्षेत्र

नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति या राज्यपाल की तरह, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय रिट न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती। यह अत्यधिक अनुचित होगा यदि उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियमों में ढील देने और याचिकाकर्ताओं को दक्षता परीक्षा से छूट देने के लिए अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने का निर्देश जारी करता है।

16. पूर्णता के लिए, हम यह इंगित करना चाहेंगे कि रिट याचिका में दिए गए तर्क पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और यह भी नहीं बताया गया है कि वरिष्ठता सूची में याचिकाकर्ता किस स्थान पर हैं। याचिकाकर्ताओं से वरिष्ठ, कनिष्ठ निजी सहायकों का कोई विवरण नहीं दिया गया है और रिट याचिका इस बारे में पूरी तरह से मौन है कि मुख्य न्यायाधीश को नियम 30 के तहत दक्षता परीक्षण की शर्त में ढील देने के लिए शक्तियों का प्रयोग क्यों करना चाहिए। हमारी राय में, यह जनहित में नहीं होगा कि नियोक्ता कुछ कर्मचारियों के अभ्यावेदन मात्र के आधार पर सेवा की शर्तों से विचलित हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय को अपने ही नियमों का पालन न करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।

17. यह एक सामान्य प्रस्ताव है कि परमादेश रिट केवल उसी स्थिति में दी जा सकती है जब प्रतिवादी प्राधिकारी पर कोई वैधानिक कर्तव्य आरोपित हो और उस वैधानिक दायित्व का निर्वहन न किया गया हो। इसलिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि पीड़ित पक्ष के पास एक विधिक अधिकार है और प्रतिवादी प्राधिकारी पर एक तदनुरूपी विधिक कर्तव्य आरोपित है, जिसके पालन का दावा न्यायालय में किया जा सकता है। नियम यह है कि परमादेश तब नहीं दिया जाएगा जब कर्तव्य विवेकाधीन हो

और जिस पक्ष पर कर्तव्य आरोपित है, उसने अपने विवेक का प्रयोग उचित रूप से और अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर, अर्थात् अपने कार्य[2] के समर्थन में पर्याप्त तथ्यों के आधार पर किया हो।

"केरल राज्य बनाम ए. लक्ष्मीकुट्टी एवं अन्य"[3] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि परमादेश रिट कोई निश्चित रिट या अधिकार रिट नहीं है, बल्कि एक विवेकाधीन उपाय है जिसका दावा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो यह सिद्ध कर सके कि उसे लोक प्राधिकारी द्वारा किसी लोक कर्तव्य के पालन पर जोर देने का कानूनी अधिकार है। परमादेश जैसी विशेषाधिकार रिट की मांग न्यायाधिकार के तहत नहीं की जा सकती । “बिहार पूर्वी गंगा मछुआरा सहकारी समिति बनाम सिपाही सिंह एवं अन्य”[4] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना कि रिट का मुख्य कार्य किसी क़ानून द्वारा निर्धारित सार्वजनिक कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य करना और अधीनस्थ न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक कार्य करने वाले अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के भीतर रखना है। यह आगे माना गया कि कुछ करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश जारी करने के लिए, यह दिखाया जाना चाहिए कि एक क़ानून है जो एक कानूनी कर्तव्य अधिरोपित करता है और पीड़ित पक्ष को क़ानून के तहत अपने कर्तव्य के पालन को लागू करने का कानूनी अधिकार है। “डॉ. राय शिवेंद्र बहादुर बनाम नालंदा कॉलेज, बिहार शरीफ का शासी निकाय”[5] में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित अवलोकन किया : -

> “*5.* हमारे समक्ष इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ कि क्या बिहार विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा *20* के अंतर्गत विश्वविद्यालय द्वारा बनाए

2 असाधारण कानूनी उपचारों का कानून, फॉरेस्ट जी. फेरिस और फॉरेस्ट जी. फेरिस जूनियर द्वारा।

3 [1986] 4 एससीसी 632.

4 [1977] 4 एससीसी 145.

5 एआईआर 1962 एससी 1210.

गए क़ानून में क़ानूनी बल है या नहीं और क्या संविधान के अनुच्छेद *226* के अंतर्गत महाविद्यालय के शासी निकाय के विरुद्ध रिट जारी की जा सकती है, अर्थात क्या अपीलकर्ता को प्रतिवादियों द्वारा क़ानूनी कर्तव्य के पालन का क़ानूनी अधिकार है। प्रतिवादियों को कुछ करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश जारी करने के लिए यह दर्शाया जाना चाहिए कि क़ानून क़ानूनी कर्तव्य अध्यारोपित करता है और अपीलकर्ता को क़ानून के अंतर्गत उसका पालन कराने का क़ानूनी अधिकार है। हालाँकि, यह है, इस प्रश्न पर विचार करना या निर्णय करना या यह तय करना पूरी तरह अनावश्यक है कि क्या क़ानून कॉलेज के शासी निकाय पर कोई कर्तव्य अध्यारोपित करते हैं जिसे परमादेश रिट द्वारा लागू किया जा सकता है क्योंकि यह मानते हुए कि अपीलकर्ता का यह तर्क सही है कि कॉलेज एक सार्वजनिक निकाय है और उसे प्राचार्य की नियुक्ति में एक सार्वजनिक कर्तव्य निभाना है, यह नहीं दिखाया गया है कि अपीलकर्ता का ऐसा कोई अधिकार है जिसे परमादेश द्वारा लागू किया जा सके। क़ानून के अनुसार शिक्षकों और कर्मचारियों की सभी नियुक्तियाँ शासी निकाय द्वारा की जानी हैं और नियमों के अनुसार ही किसी व्यक्ति को नियुक्त, हटाया या पदावनत किया जा सकता है, लेकिन अपीलकर्ता ने यह नहीं दिखाया है कि उसके पास नियुक्ति या बहाली का आदेश प्राप्त करने का कोई अधिकार है। हमारा ध्यान क़ानून के किसी भी अनुच्छेद की ओर आकर्षित नहीं किया गया है जिसके द्वारा अपीलकर्ता को नियुक्त या बहाल होने का अधिकार है और यदि उसके पास वह अधिकार नहीं है तो वह अदालत में आकर रिट जारी करने की मांग नहीं कर सकता। इसलिए किसी अन्य प्रश्न पर विचार करना आवश्यक नहीं है।"

18. दलीलों में कुछ खामियों के बावजूद, निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के लिए संयुक्त दक्षता परीक्षा एक ऐसा विवादास्पद मुद्दा है जिस पर इस न्यायालय द्वारा विचार किए जाने की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि यदि बाद में किसी अन्य भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किए गए कनिष्ठ निजी सहायकों को कर्मचारी सेवा नियमों के भाग-II के खंड 15 के अंतर्गत 25% कोटे के तहत पदोन्नति के लिए उसी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाती है, तो उनकी पदोन्नति की संभावना कम हो जाएगी। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि किसी अन्य वित्तीय वर्ष में नियुक्त किए गए कनिष्ठ निजी सहायकों को उनकी नियुक्ति से पहले हुई रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति का दावा करने की

अनुमति देकर, उच्च न्यायालय ने निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति के नियमों के खंड 15 के अंतर्गत प्रावधान के विपरीत कार्य किया है। इस तर्क का खंडन करने के लिए, प्रतिवादियों ने यह रुख अपनाया है कि नियमों के तहत एक सामान्य दक्षता परीक्षा आयोजित करने पर कोई रोक नहीं है क्योंकि ऐसी परीक्षा केवल एक मानक (बेंचमार्क) है। प्रतिवादियों के अनुसार, वैयक्तिक सहायक-सह-निर्णय लेखक संवर्ग में 25% रिक्तियों के अंतर्गत पदोन्नति चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह मानदंड पूरा करना आवश्यक है और पदोन्नति केवल दक्षता परीक्षा के आधार पर नहीं, बल्कि वरिष्ठता-सह-दक्षता के आधार पर की जाती है। इसके अलावा, यदि याचिकाकर्ता दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल भी हो जाते हैं, तो भी उनकी पदोन्नति की संभावना पर कोई असर नहीं पड़ेगा और वे वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर शेष 75% पदों पर भी पदोन्नति प्राप्त कर सकेंगे।

19. जैसा कि सेवा न्यायशास्त्र में समझा जाता है, पदोन्नति की संभावना सेवा की शर्तें नहीं हैं और ये खंडनीय हैं। कोई सरकारी कर्मचारी अधिकार के रूप में पदोन्नति का दावा नहीं कर सकता है और उसे केवल मौजूदा नियमों के अनुसार ही पदोन्नति के लिए विचार किया जा सकता है। इस प्रावधान के बावजूद कि दक्षता परीक्षा केवल अर्हक प्रकृति की है और कनिष्ठ निजी सहायकों को उनकी वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दी जाएगी, विभिन्न वित्तीय वर्षों के नियुक्तियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों को अलग किए बिना एक सामान्य दक्षता परीक्षा आयोजित करना अनुचित और अनुपयुक्त होगा और याचिकाकर्ताओं जैसे उम्मीदवारों के लिए पूर्वाग्रह का कारण होगा। नियम 6 के तहत नियुक्ति प्राधिकारी को वित्तीय वर्ष के दौरान हर साल 01 अप्रैल को होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या निर्धारित करने की शक्ति है। नियम 6(सी) के तहत यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि

किसी पद को नियमों या अनुसूची-I में निर्धारित एक से अधिक तरीकों से भरा जाना है तो उप-नियम (1) के खंड (क) के अनुसार ऐसी प्रत्येक पद्धति पहले से भरे गए पदों की कुल संख्या के लिए निर्धारित अनुपात को बनाए रखते हुए की जाएगी। नियम 6(2) के अंतर्गत नियुक्ति प्राधिकारी पिछले वर्षों की रिक्तियों का भी वर्षवार निर्धारण करेगा, जिन्हें पदोन्नति के माध्यम से भरा जाना अपेक्षित था, यदि ऐसी रिक्तियां उस वर्ष में पहले निर्धारित और भरी गई थीं जिसमें उन्हें भरा जाना अपेक्षित था। यह भी बहुत स्पष्ट है कि खंड 15 के अंतर्गत निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर भर्ती की पद्धति स्पष्ट है। इसमें प्रावधान है कि कनिष्ठ निजी सहायकों को वरिष्ठता-सह-दक्षता और वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर पदोन्नति के लिए 1:3 के अनुपात में बुलाया जाएगा। इसमें आगे प्रावधान है कि कुल उपलब्ध पदों में से पहली रिक्ति वरिष्ठता-सह-दक्षता के आधार पर भरी जाएगी और फिर दूसरी, तीसरी और चौथी रिक्ति वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर भरी जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धारा 15 के दूसरे प्रावधान में यह प्रावधान है कि उच्च न्यायालय के संस्थापन में विद्यमान कनिष्ठ निजी सहायकों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में पदों को अधीनस्थ न्यायालयों के निजी सहायकों या राजस्थान सरकार के विभाग के निजी आशुलिपिकों/निजी सहायकों में से उपयुक्त अभ्यर्थियों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा।

20. खंड 15 के तहत पदोन्नति की योजना दो अलग-अलग भर्ती वर्षों में भर्ती किए गए कनिष्ठ निजी सहायकों को उनकी नियुक्ति से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ पदोन्नति के लिए दक्षता परीक्षा में एक साथ उपस्थित होने की अनुमति देने पर विचार नहीं करती है। यह सर्वविदित है कि संवर्ग में बड़ी संख्या में कर्मचारी हो सकते हैं लेकिन पदोन्नति के लिए रिक्तियों की संख्या सीमित हो

सकती है। नियम 8 के साथ खंड 15 के तहत, याचिकाकर्ताओं को वर्ष 2020 में कनिष्ठ निजी सहायक की भर्ती से पहले निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के संवर्ग में रिक्तियों की कुल संख्या के 1/4 वें के खिलाफ वरिष्ठता-सह-दक्षता के आधार पर पदोन्नति की मांग करने का अधिकार होगा। लेकिन इस कोटे के तहत खाली रह गई कोई भी रिक्ति वर्ष 2020 में नियुक्त उम्मीदवारों के लिए तब तक उपलब्ध नहीं कराई जा सकती जब तक कि 2016 के पूरे बैच को नियमों के अनुसार दक्षता परीक्षा के लिए नहीं बुलाया जाता। इसलिए, दक्षता परीक्षा के आधार पर 25% रिक्ति के तहत चयनित होने का एक मौका उन अन्य लोगों को दिया जाएगा जिन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ उसी वित्तीय वर्ष में नियुक्त किया गया था। इस घटना में कि निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के कुछ पद रिक्त रह जाते हैं, ऐसे पदों को अधीनस्थ न्यायालयों के उपयुक्त निजी सहायकों या राजस्थान सरकार के विभाग के निजी आशुलिपिकों/निजी सहायकों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा। इसलिए हम मानते हैं कि वर्ष 2020 या उसके बाद नियुक्त कनिष्ठ निजी सहायक 02 मार्च 2020 से पहले हुई रिक्तियों के खिलाफ 2016 के बैच के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए निजी सहायक-सह-निर्णय लेखक के पद पर पदोन्नति की मांग नहीं कर सकते हैं। हालांकि, हम अतीत में वापस जाने और पिछली पदोन्नतियों को आकुल करने के इच्छुक नहीं हैं। इस हस्तक्षेपकारी निर्णय का एक कारण यह है कि 09 अक्टूबर 2020 के आदेश के तहत दी गई पदोन्नति को कोई विशेष चुनौती नहीं है।

21. हमें सूचित किया गया कि 14 मई 2024 के आदेश के आलोक में दक्षता परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अंतिम परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया था। प्रतिवादी अब परिणाम प्रकाशित करेंगे और पदोन्नति केवल ऊपर बताए गए तरीके से ही प्रदान की जाएगी।

22. पूर्वोक्त चर्चाओं के मद्देनजर, खंड (घ) में की गई प्रार्थना को अनुमति दी जाती है और यह रिट याचिका उपर्युक्त सीमा तक सफल होती है।

23. डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 7829/2024 को ऊपर बताए गए तरीके और सीमा तक अनुमति दी जाती है।

(कुलदीप माथुर) , जे **(श्री चन्द्रशेखर), जे**

अजय सिंह /-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ/नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी